

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज—पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE <i>Extraordinary</i>
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	चैत्र 20, बुधवार, शाके 1935—अप्रैल 10, 2013 <i>Chaitra 20, Wednesday, Saka 1935—April 10, 2013</i>	

भाग 4 (क)
राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 10, 2013

संख्या प. 2 (18) विधि/2/2013.—राजस्थान राज्य विधान—मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 9 अप्रैल, 2013 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजस्थान विशेष न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 11)

[राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 9 अप्रैल, 2013 को प्राप्त हुई]

राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 को संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विशेष न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2012 के राजस्थान अधिनियम सं.38 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं.38) की धारा 2 के खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 3" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 13" प्रतिस्थापित की जायेगी।

प्रकाश गुप्ता,

प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, April 10, 2013

No. F. 2 (18) Vidhi/2/2013.—In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Vishes Nyayalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013 (2013 Ka Adhiniyam Sankhyank 11):—

**(Authorised English Translation)
THE RAJASTHAN SPECIAL COURTS (AMENDMENT)
ACT, 2013
(Act No. 11 of 2013)**

[Received the assent of the Governor on the 9th day of April, 2013]

An

Act

to amend the Rajasthan Special Courts Act, 2012.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:—

1. Short title and commencement.— (1) This Act may be called the Rajasthan Special Courts (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 38 of 2012.— In clause (b) of section 2 of the Rajasthan Special Courts Act, 2012 (Act No. 38 of 2012), for the existing expression "section 3", the expression "section 13" shall be substituted.

प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.